<u>न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 01, आजमगढ़।</u>
सत्र परीक्षण संख्याः 129/2025
सरकार.....बनाम..... **मो० तारिक**

मु०अ०सं० 08/2021
धारा 307 भा०दं०सं०
धारा 3/5/8 उ०प्र० गौ हत्या निवारण अधिनियम,
<u>थानाः **निजामाबाद**, आजमगढ़।</u>

<u>दिनांक– 26.03.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **मो० तारिक** मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आया। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया **धारा 307 भा०दं०सं० व धारा 3/5/8 उ०प्र० गौ हत्या निवारण अधिनियम,** का आरोप बनता है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की याचना की। पत्रावली दिनाँक **18.04.2025** को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों।

<u>दिनांक– 26.03.2025</u>

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2025.03.26 16:34:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 01, आजमगढ़।</u>
सत्र परीक्षण संख्याः 129/2025
सरकार.....बनाम..... **मो० तारिक**

मु०अ०सं० 08/2021
धारा 307 भा०दं०सं०
धारा 3/5/8 उ०प्र० गौ हत्या निवारण अधिनियम,
<u>थानाः **निजामाबाद**,</u> आजमगढ़।

<u>आरोप</u>

मैं, **सतीश चन्द्र द्विवेदी**, **अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01 आजमगढ़** आप अभियुक्त **<u>मो० तारिक</u>** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

<u>प्रथमः</u> यह कि दिनांक 12.01.2021 को समय करीब 19.30 बजे, बहद स्थान मुहम्मदपुर पुलिया, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दूबे व हमराही पुलिस कर्मचारियों को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर लक्ष्य करके फायर किया, यदि आप द्वारा कारित अपराध से किसी पुलिस कर्मी की मृत्यु हो जाती हो आप हत्या की कोटि में आने वाले अपराधिक मानव वध के दोषी होते। एतदद्वारा आप ऐसा अपराध कारित किये, जो **भा०दं०सं० की धारा 307** के तहत दण्डनीय है और मेरे प्रसज्ञान में हैं।

<u>द्वितीयः</u> यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व घटना स्थान पर आप अभियुक्त के कब्जे से 18 किलो 400 ग्राम गौमांस बरामद हुआ जिसे आप द्वारा विक्रय हेतु रखा गया था। एतदद्वारा आप ऐसा अपराध कारित किये, जो **उ०प्र० गौ हत्या निवारण अधिनिमय की धारा 3/5/8** के तहत दण्डनीय है और मेरे प्रसज्ञान में हैं।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनांक –26.03.2025</u>

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया व उनसे पूछा गया कि वे जुर्म स्वीकार करना चाहता है या विचारण चाहता है? अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

<u>दिनांक –26.03.2025</u>

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।